संख्या- 269 /2025 / 2064 /चार-2025-1712420

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति एवं कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-01शा0अनु0/ 2025-26/47 दिनांक 01 जुलाई, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावानुसार अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर वेतन मद में प्राविधानित रू0 250.00 लाख की निम्नलिखित कार्ययोजना पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि अपरिहार्य / परिस्थितिजन्य कारणों से व्ययाधिक्य होने की स्थिति में उसे अन्य मदों से होने वाली बचतों से समायोजित किया जायेगा:-

क्र0	कराये जाने वाले कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि (रू0 लाख में)
1	उ0प्र0 के 75 जनपदों में ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं एवं विभिन्न अवसरों पर आयोजित/ प्रस्तावित कार्यक्रम	105.00
2	संस्थान हेतु शासन द्वारा नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय, टेलीफोन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अनुमन्य अन्य सुविधाओं हेतु अनुमानित व्यय	50.00
3	संस्थान के विद्युत बीजकों के भुगतान	30.00
4	कार्यालय संबंधी विभिन्न व्यय यथा स्टेशनरी, टेलीफोन, पुस्तकालय, लिफ्ट, लीगल व्यय, डीजल/पेट्रोल, इंश्योरेंस, विभिन्न मेंटीनेंस कार्य, उपकरणों का मेंटीनेंस, आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों पर अनुमानित व्यय	45.00
5	संस्थान द्वारा संचालित स्नातक स्तर के शिक्षण, शिक्षणेत्तर, शोध एवं प्रकाशन कार्य	20.00
	कुल अनुमानित व्यय	250.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में **रू0 83.00 लाख (रूपये तिरासी लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ का होगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 83,00,000/- (रुपये तिरासी लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 2205001012300 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 269 /2025 / 2064 (1)/चार-2025-1712420 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।